RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 04 / 2023 **GCMS NO:- 2023/221**

प्रार्थी–

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना बालोतरा, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी–

1. श्री सुमेरराम पुत्र श्री मादाराम जाति विश्नोई निवासी धवा, पुलिस थाना झंवर, जिला जोधपुर।
2. श्री भंवरलाल पुत्र श्री बाबुलाल विश्नोई निवासी कागनाडा, पुलिस थाना लुणी, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2 स्वयं बावजुद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 16.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 12.09.2021 को श्री चुतराराम सउनि थाना बालोतरा ने जरिये टेलीफोन सूचना दी कि मैने दौराने गस्त सिवाना फांटा के पास एक टाटा 709 नंबर आरजे 04 जीए 7884 मय टैंक को रुकवाकर चैक किया, तो टैंक में मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडिजल) भरा हुआ है तथा चालक व उसके पास बैठे व्यक्ति के पास उक्त पदार्थ परिवहन करने के कोई कागजात वैद्य लाईसेन्स नहीं है। उक्त सूचना पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाब्ता श्री रायचन्दराम हैडकानि. 835, सुरेन्द्रकुमार कानि० न० 1643 मय सरकारी वाहन चालक मोहनसिंह न० 1346 सिवाना फांटा के पास पहुंचा जहां पर श्री चुतराराम सउनि मय कानि नन्दसिंह नम्बर 332 व राकेशकुमार कानि. 1484 मय वाहन सरकारी बोलेरो नम्बर आरजे 04 युए 6013 में चालक कैलाशदान नम्बर 349 मय डिटेन सुदा वाहन टाटा 709 नम्बर आरजे 04 जीए 7884 मय टैंक व दो शक्स के हाजर मिले। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक

जिला कलक्टर
बालोतरा

ने डिटेन सुदा दोनो शक्सों से अपना नाम पता पूछा तो उक्त वाहन के चालक ने अपना नाम सुमेरराम पुत्र मादाराम जाति विश्नोई (ढाका) उम्र 32 साल निवासी धवा पुलिस थाना झंवर जिला जोधपुर व दूसरे ने अपना नाम भंवरलाल पुत्र बाबूलाल जाति विश्नोई (खिलेरी) उम्र 26 साल निवासी कागनाडा पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर होना बताया। उक्त दोनो शख्सान को टाटा 709 में पीछे बॉडी के स्थान पर लगे टैंक में भरे पदार्थ के बारे में पूछने पर 5000 लीटर मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) होना बताया जिस पर टाटा 709 के पीछे बॉडी के स्थान पर लगे बिना नम्बरी टैंक के ऊपर लगे ढक्कन को खोलकर चैक किया गया तो टैंक में मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) भरा होना पाया। जिस पर उक्त दोनों शख्सान से मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) कब्जा में रखने व परिवहन करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र बाबत पूछा गया तो अपने पास उक्त टैंक में भरे मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) को कब्जा में रखने व परिवहन करने बाबत कोई वैध अनुज्ञापत्र अपने पास नहीं होना बताया तथा कहां से व किससे खरीदकर लाने बाबत पूछने पर दिनेश सारण से खरीदकर जालोर, चौराया कस्बा सिणधरी से भरकर लाना बताया। उक्त टैंक में भरे हुये मिलावटी (कथित बायो डिजल) को गैज से नाप किया गया तो उक्त टैंक में कुल 5000 लीटर मिलावटी पैट्रोलियम (कथित बायो जिजल) भरा होना पाया जाने पर उक्त टैंक से वास्ते रासायनिक परीक्षणार्थ कांच की एक बोतल 700 एमएल की भरी जाकर शील्ड मोहर कर मार्क एस अंकित किया गया एवं कांच की एक बोतल 750 एमएल की मरी जाकर वास्तै कन्ट्रोल सैम्पल शील्ड मोहर कर मार्क ए अंकित किया गया एंव शेष मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ (कथित बायो डिजल) को उसी टैंक में रहने दिया जाकर शील्ड मोहर कर मार्क बी अंकित किया जाकर वास्ते वजह सबूत टाटा 709 नम्बर आरजे 04 जीए 7884 को मय टैंक के जब्त किया जाकर मुलजिमान सुमेरराम पुत्र मादाराम व भंवरलाल पुत्र बाबूलाल को जरिये फर्द गिरफ्तारी के नियमानुसार पृथक–पृथक गिरफ्तार किया। प्रकरण में अन्वेषण से आरोपी द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के अनाधिकृत रुप से पैट्रोलियम पदार्थ बायोडीजल का संग्रह किया गया है तथा बिना लाईसेस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पदार्थ अपने कब्जा में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि

जिला कलक्टर
बालोतरा

प्रकरण हाजा मे जब्तशुदा 5000 लीटर बायोडीजल नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 5000 लीटर बायोडीजल राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर व प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थीगण को अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ संग्रह करते हुए पाया गया तथा मौके से गाड़ी में भरे पदार्थ के बारे में पूछने पर अप्रार्थीगण ने बायोडीजल होना बताया। सूंघने तथा जांच करने पर कुल 5000 लीटर बायोडीजल भरा होना पाया गया। उक्त शख्स से बायोडीजल लाने, बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र होना नहीं बताया गया। साथ ही उक्त जब्तसुदा बायोडीजल नुमा पदार्थ में से एक 750 एमएल कांच की बोतल में नमुना सैम्पल वास्ते रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए तथा प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट में "On the basis of Distillation Characteristics, the above liquid sample was found to be of petroleum hydrocarbon fractions having density 0.7809 at 15°C and flash point 66°C(Abel)" होना बताया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 5000 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के समुचित आधार मौजूद हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे के आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005

न्यायालय जिला कलक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

के उल्लंघन मे पाये गये 5000 लीटर कथित बायोडीजल राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात किये गये 5000 लीटर बायोडीजल का सार्वजनिक निलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें तथा जिला रसद अधिकारी, बालोतरा इसके लिए सहयोग प्रदान करे। इस आदेश की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना पचपदरा एवं जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को पालना एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 16.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलेक्टर, बालोतरा